गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

मांग संख्या 64

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		499.76	5.35	505.11	307.96	5.74	313.70	503.76	5.47	509.23
पूंजी		*125.04*	*...*	*125.04*	*82.04*	*...*	*82.04*	*96.04*	*...*	*96.04*
जोड़		**624.80**	**5.35**	**630.15**	**390.00**	**5.74**	**395.74**	**599.80**	**5.47**	**605.27**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	6.40	5.35	11.75	6.40	5.74	12.14	6.91	5.47	12.38
ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत										
2. सौर ऊर्जा कार्यक्रम	2810	177.11	...	177.11	73.05	...	73.05	107.76	...	107.76
	3601	0.03	...	0.03	...	...	...	0.03	...	0.03
	3602	4.92	...	4.92	2.01	...	2.01	1.42	...	1.42
	4810	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04
	जोड़	*182.10*	*...*	*182.10*	*75.10*	*...*	*75.10*	*109.25*	*...*	*109.25*
3. जैव-गैस कार्यक्रम और एनबीबी	2810	34.90	...	34.90	31.96	...	31.96	15.96	...	15.96
	3601	15.10	...	15.10	12.10	...	12.10	8.01	...	8.01
	जोड़	*50.00*	*...*	*50.00*	*44.06*	*...*	*44.06*	*23.97*	*...*	*23.97*
4. पवन ऊर्जा कार्यक्रम	2810	19.18	...	19.18	15.50	...	15.50	26.35	...	26.35
5. जैव पिड कार्यक्रम	2810	21.65	...	21.65	18.70	...	18.70	25.54	...	25.54
6. एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	2501	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	1.60	...	1.60
	3601	3.91	...	3.91	3.30	...	3.30	6.39	...	6.39
	3602	0.05	...	0.05	0.05	...	0.05	1.00	...	1.00
	जोड़	*4.11*	*...*	*4.11*	*3.50*	*...*	*3.50*	*8.99*	*...*	*8.99*
7. ऊर्जा के अन्य स्रोत	2810	54.90	...	54.90	26.40	...	26.40	38.90	...	38.90
	3601	1.50	...	1.50	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
	3602	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
	जोड़	*56.50*	*...*	*56.50*	*27.50*	*...*	*27.50*	*40.00*	*...*	*40.00*
8. उन्नत चूल्हे	2810	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.08	...	0.08
	3601	0.19	...	0.19	0.03	...	0.03	0.16	...	0.16
	3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	जोड़	*0.50*	*...*	*0.50*	*0.34*	*...*	*0.34*	*0.25*	*...*	*0.25*
9. शहरी और कृषि संबंधी अपशिष्टों से ऊर्जा	2810	13.50	...	13.50	4.50	...	4.50	14.40	...	14.40
10. सरकारी उद्यमों में निवेश	4810	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	50.00	...	50.00
	6810	85.00	...	85.00	42.00	...	42.00	46.00	...	46.00
	जोड़	*125.00*	*...*	*125.00*	*82.00*	*...*	*82.00*	*96.00*	*...*	*96.00*
11. राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान	2810	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	6.00	...	6.00
12. अन्य मदें	2810	88.86	...	88.86	70.40	...	70.40	182.14	...	182.14
13. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	54.00	...	54.00	39.00	...	39.00	60.00	...	60.00
कुल जोड़		***624.80***	***5.35***	***630.15***	***390.00***	***5.74***	***395.74***	***599.80***	***5.47***	***605.27***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
10.01 भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी	12810	125.00	458.14	583.14	82.00	437.52	519.52	96.00	487.45	583.45
	जोड़	*125.00*	*458.14*	*583.14*	*82.00*	*437.52*	*519.52*	*96.00*	*487.45*	*583.45*
ग. आयोजना परिव्यय*										
1. ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोत	12810	624.85	458.14	1082.99	389.87	437.52	827.39	598.40	487.45	1085.85
2. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	12501	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	1.60	...	1.60
जोड़		**625.00**	**458.14**	**1083.14**	**390.02**	**437.52**	**827.54**	**600.00**	**487.45**	**1087.45**
मांग संख्या 99	12810	0.20	...	0.20	0.02	...	0.02	0.20	...	0.20

** शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की मांगों में निर्माण कार्य परिव्यय सहित।*

1. **सचिवालयः** इसमें गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था है।

2. **सौर ऊर्जा कार्यक्रम** : इसमें सौर-तापीय ऊर्जा कार्यक्रम और सौर प्रकाश-वोल्टीय ऊर्जा कार्यक्रम के लिए की गई व्यवस्था शामिल है और इसमें सौर-तापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास, प्रदर्शन और विस्तार संबंधी कार्य शामिल हैं तथा अन्य बातों के साथ-साथ सौर-तापीय प्रणालियों के

लिए उदार ऋण और सौर कुकरों के लिए उन्नयन उपायों के रूप में सहायता की व्यवस्था की गई है।

3. **बायोगैस कार्यक्रम** : बायोगैस कार्यक्रम का लक्ष्य भोजन बनाने, प्रकाश व्यवस्था करने और विद्युत उत्पादन के लिए स्वच्छ गैस और पशुओं के गोबर और मल से समृद्ध खाद प्रदान कराना है। इस कार्यक्रम में परिवार किस्म के संयंत्र तथा अनुसंधान और विकास को लोकप्रिय बनाना शामिल है। अन्य बातों के साथ-साथ बायोगैस विकास पर राष्ट्रीय परियोजना (एनपीबीडी) बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए किसानों को आर्थिक सहायता और टर्नकी कामगारों और ग्रामीण ऊर्जा तकनीशियनों को पहले तीन वर्षों की अवधि के लिए गुणवत्तापूर्ण बायोगैस संयंत्रों के निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण सेवा के लिए फीस प्रदान करता है।

4. **पवन ऊर्जा कार्यक्रम** : इसमें पवन विद्युत उत्पादन, पवन आंकड़ा संग्रह केन्द्र के सुदृढ़ीकरण, अनुसंधान और विकास जिसमें पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी (सी-वेट) के लिए केन्द्र की स्थापना शामिल है। प्रदर्शन और विभिन्न पवन टर्बाइनों के क्षेत्रीय परीक्षण संबंधी कार्य शामिल हैं।

5. **जैव-पिंड/जैव-ऊर्जा कार्यक्रम**: इस कार्यक्रम के लिए की गई व्यवस्था का संबंध बायोमास उत्पादन पर अनुसंधान और विकास जैसी प्रौद्योगिकियों के रूपान्तरण और उपयोग से है। चीनी उद्योग में विद्युत उत्पादन के लिए बायोमास आधारित सह उत्पादन कार्यक्रम शुरु किया गया है। बायोमास गैसीकरण और जैव पिंड दहन पर आधारित विद्युत संबंधी कार्यक्रम को और सुदृढ़ बनाया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन में पूंजी और इन परियोजनाओं के संस्थापना के लिए ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

6. **एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम(आईआरईपी)**: इस कार्यक्रम का लक्ष्य अन्य बातों के साथ-साथ, भोजन पकाने, ताप पैदा करने और प्रकाश पैदा करने के लिए प्रकाश पैदा करने के लिए कम से कम घरेलू ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए और पर्यावरणात्मक विचारणाओं सहित वहनीय कृषीय और ग्रामीण विकास की ऊर्जा-आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यवस्था करना है। राज्य क्षेत्र संघटक के अधीन, राज्य परिव्यय, लघु स्तर की आईआरईपी परियोजनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।

7. (i) **ऊर्जा के अन्य स्रोत**: इसमें ईंधन कोशिका प्रौद्योगिकी, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतल परिवहन से जैव ईंधन, प्रदूषण-भिन्न ईंधन और भूतल परिवहन के वाहन, विद्युत उत्पादन के लिए भू-तापीय ऊर्जा तथा प्रत्यक्ष ताप उपयोग और विद्युत उत्पादन के लिए समुद्रीय ऊर्जा जैसे पर्यावरण की दृष्टि से साफ नई ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रदर्शन, परियोजनाएं तथा क्रियाकलापों के अनुसंधान तथा विकास के लिए प्रावधान शामिल है। बैटरी-चालित विद्युत वाहनों के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से लाभार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। देश में कई अनुसंधान, वैज्ञानिक, शैक्षणिक संस्थाओं, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, उद्योग आदि में परियोजनाएं शुरू की जाती हैं।

(ii) **लघु पनबिजली कार्यक्रम**: लघु पनबिजली परियोजना (एस.एच.पी) कार्यक्रम का उद्देश्य नदियों के प्रवाह और प्राकृतिक झरनों के जल संसाधनों का उपयोग करना है। ऐसी प्रणालियों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत विद्युत उत्पादन को या तो ग्रिड से या दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों को सीधे आपूर्ति करने के लिए जोड़ा जा रहा है। व्यवहार्यता अध्ययन करने, विस्तृत परियोजना रिपार्ट तैयार करने और इन परियोजनाओं की संस्थापना हेतु ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। जीईएफ/यूएनडीपी की आंशिक सहायता से ''हिमालय और उप-हिमालय कैंप क्षेत्रों में लघु पनबिजली संसाधनों के इष्टतम विकास'' की एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

8. **उन्नत चूल्हों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम**: इस कार्यक्रम का लक्ष्य ईंधन की लकड़ी और अन्य बायोमास सामग्री के लिए उन्नत चूल्हों का संवर्धन करना, कठिन श्रम में और ईंधन की लकड़ी संग्रहित करने में और पारम्परिक चूल्हों पर भोजन बनाते समय सामने आने वाले महिलाओं और बालिकाओं के स्वास्थ्य संबंधी खतरों में कमी करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को अवसर प्रदान करना है।

9. **शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा**: शहरी और औद्योगिक कचरे से ईंधन व विद्युत के रूप में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए "राष्ट्रीय शहरी, नगरपालिका और औद्योगिक कचरे से ऊर्जा प्राप्ति संबंधी कार्यक्रम" शुरु किया गया है। इस योजना में ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कचरे हेतु राजकोषीय व वित्तीय प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, " ग्रीन हाउस गैस रिसाव घटाने के साधन के रूप में उच्चदर वाली बायोमेथानेशन प्रक्रिया का विकास" संबंधी सहायता प्राप्त यू.एन.डी.पी.i/जी.ई.एफ परियोजना कार्यान्वयना अधीन है।

10. **सरकारी उद्यमों में निवेश**: भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी की स्थापना विभिन्न नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की परियोजनाओं और स्कीमों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। यह एजेन्सी आन्तरिक संसाधनों, इक्विटी और विदेशी एजेंसियों से धनराशि जुटाकर ऐसी परियोजनाओं हेतु वित्तीय व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी है।

11. **राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान(एनआईआरई)**: राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग संस्थान की आवश्यकता महसूस की गई क्योंकि नवीकरणीय/गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत, सभी स्तरों पर मानव संसाधन विकास और विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकयों के वाणिज्यिकीकरण को बढ़ावा देने की गतिविधियों से हुई और सम्बद्ध अभिसारी गतिविधियां चलाने के लिए अनुसंधान और विकास के क्रियाकलापों के लिए कोई राज्य स्तर का अलग संस्थान नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई है। और चालू वित्त वर्ष के दौरान संस्थान की विभिन्न प्रारम्भिक गतिविधियों तथा भवनों और कैम्पस के निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया है।

12. **अन्य मदें** : (i) इनमें सूचना और प्रचार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्षेत्रीय कार्यालय, प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान आकलन और डाटाबैंक (टीआईएफएडी), मानव संसाधन विकास तथा प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं और विशेष क्षेत्र प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए प्रावधान शामिल है।

(ii) सुदूर ग्राम विद्युतीकरण: मंत्रालय ने सभी अल्प विद्युतीकृत सुदूर ग्रामों तथा खेड़ों, जिन तक ग्रिड के विस्तार की संभावना नहीं है, का नवीकरणीय स्रोतों मुख्यतया बायोमास, लघु पनबिजली, सौर, पवन आदि स्रोतों से विद्युतीकरण करने का कार्य आरम्भ किया है। मंत्रालय ने सुदूर ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम आरम्भ किया है जिसके अंतर्गत अभी तक लगभग 1400 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवीकरण योग्य ऊर्जा स्रोतों से जनगणना गांवों और विद्युतीकृत जनगणना गांवों की दूरदराज की बास्तियों का विद्युतीकरण करना है। मंत्रालय का उद्देश्य ऐसे सभी सुदूर जनगणना ग्रामों को 2007 तक अर्थात् 10वीं योजना के अन्त तक विद्युतीकृत करना है और 11वीं योजना के अन्त तक अर्थात् 2012 तक सभी घरों में बिजली पहुंचाना है।

13. **पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम हेतु एकमुश्त प्रावधान**: इसमें सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में गैर-पारम्परिक ऊर्जा कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा मॉनीटरिंग तथा मानव संसाधन विकास हेतु राज्य नोडल एजेंसियों की स्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता की व्यवस्था शामिल है।